

कार्यालय- नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।
सूचना / विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के अधिष्ठान से सम्बन्धित अधिकारीगण, कर्मचारीगण के आयकर की कटौती से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2017-18 के त्रैमासिक रिटन प्रपत्र 24 क्यू व 26 क्यू एवं फार्म- 16, व फार्म 16 ए तैयार किये जाने हैं। उक्त कार्य प्रधिकृत योग्य व्यवसायी/आयकर नियमावली के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सम्पन्न किया जाना है। इस कार्य हेतु इच्छुक अधिवक्तागण अपनी व्यवसायिक फीस का उल्लेख करते हुए कुटेशन दिनांक 18.01.2018 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। कुटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई को सुरक्षित रहेगा।

दिनांक 09.01.2018

(श्रीनाथ सिंह)

अध्यक्ष ,

आयकर डाटा समिति /

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)

जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
02. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जजशिप जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. जिला-सूचना अधिकारी, उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
04. कम्प्युटर अनुभाग जजशिप उरई को जनपद न्यायालय उरई की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(श्रीनाथ सिंह)

अध्यक्ष ,

आयकर डाटा समिति /

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)

जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

नजारत

जनपद न्यायालय

जालौन स्थान उरई